न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वाराः– श्री गंगाधर मीणा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
27	21.06.2022	16.11.2022

उनवान

1. गुलशेर पुत्र उमर खान जाति मेव नि0 रायबका तहसील अलवर ।

:–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर।

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **128** राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् कराये जाने पत्थरगढी।

....

उपस्थितिः–
1. श्री ख़ुर्शेद अहमद जी एडवोकेट प्रार्थी की और से।
2. जवाब पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगढबास।

–ः निर्णयः–

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः– वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.26 हे0 बारानी2 राजस्व ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास प्रार्थीगण समभाग निजी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है। जिसके प्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काबिज आराजी है।

जिस आराजी की बाबत् मिन ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पैमाईश व पत्थरगढी तहसीलदार किशनगढबास को पेश किया। जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगढबास के आदेश क्रमांक 17 दिनांक 23.05.2022 द्वारा मय हल्का पटवारी मौके पर पहुँचे तथा आराजी खसरा संख्या 309/2 रकबा 1.26 हे0 वाके ग्राम लालपुरी के सीमाज्ञान हेतु आराजी खसरा नम्बर 248, 252, 254 के तिमेड को मुस्तकील बिन्दु मानकर जरीब चलाकर आराजी नम्बर 309/2 के उत्तर पश्चिम बिन्दु को कायम किया गया। इस बिन्दु से आराजी खसरा नम्बर 309/2 की सभी भुजाओं पर जरीब चलाकर खसरा नम्बर के अन्य बिन्दु कायम करते हुए उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान प्रार्थी को करा कर अवगत कराया गया। एवं उक्त मौका पर्चा बनाया गया एवं पढकर सुनाकर मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर व अंगूठे निशाने लिये गये। लेकिन हल्का पटवारी वो कानूनगो द्वारा पत्थरगढी नहीं की गई। प्रमाणित प्रतिलिपि मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण राजस्व अधिकारियों द्वारा कराया गया सीमाज्ञान तहसीलदार किशनगढबास के आदेश क्रमांक 17 दिनांक 23.05.2022 के आधार पर ही प्रार्थीगण आपनी आराजी विधिवत पत्थर गढी कराकर मुश्तकिल निशान्त कायम कराना चाहते है।

उक्त आराजी खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.26 हे0 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास की पैमाईश तहसीलदार किशनगढबास के आदेश क्रमांक 17 दिनांक 23.05.2022 द्वारा हो चुकी है। इसलिए उक्त आराजी की पत्थरगढी करायी जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.26 हे0 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगढबास अथवा कानूनगो तथा हल्का पटवारी को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेशानुसार कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पत्थरगढी कराई जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.26 हे0 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास जिला अलवर की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश तहसीलदार किशनगढबास के आदेश कमांक 17 दिनांक 23.05.2022 के अनुसार कराया जाना उचित एव न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.26 हे0 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास की पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एवं पडोसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की छायाप्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। खर्चा प्रार्थी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)